न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 29/2026 (GCMS : 2026/43)

चंचल सिंह पुत्र बसंत सिंह जाति रामगढ़िया निवासी वार्ड नं. 24, चक 24 ए एसबी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **बलविन्द्र कौर** पत्नी जसवंत सिंह रामदासिया निवासी 15 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर हाल वार्ड नं. 24, 24 ए एस बी तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर
2. उपखण्ड अधिकारी, घड़साना
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये तहसीलदार (राजस्व), घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त याद उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गय।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2025 अनवानी चंचल सिंह बनाम बलविन्द्र कौर अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2025 अनवानी चंचल सिंह बनाम बलविन्द्र कौर अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है, अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर